न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

शंकरलाल बनाम पूरणमल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे. ... 28/2024
08-07-25	वकुलाय उभय पक्षकारान उप०। बहस हेतु अवसर चाहते है। न्यायहित में अवसर दिया जाकर है वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30-07-2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
30.07.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बहस मे विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे पारित स्थगन आदेश को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.08.2024 को मूल वाद पत्र उनवानी शंकरलाल बनाम पूरणमल वगै0 के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 261 से 268 कुल किता 8 कुल ... रिकार्ड एंव मौके ... यथास्थिति ब... होकर बाद तक... दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 13:05:35 IST
Reason: SelfAttested